बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक......................../

पटना, दिनांक........................
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14

प्रेषक :–

साकेंत कुमार,
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार उत्सव का आयोजन नई दिल्ली, पटना एवं राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्तर पर करने हेतु ₹118.00 लाख (एक करोड़ अठारह लाख रूपये) मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं0 34, दिनांक 05.01.16 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं0 1145, दिनांक–17.03.2016 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार उत्सव का आयोजन नई दिल्ली, पटना एवं राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्तर पर करने हेतु ₹118.00 लाख (एक करोड़ अठारह लाख रूपये) मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

(2) प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर इस उत्सव का आयोजन नई दिल्ली एवं पटना में किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस उत्सव का आयोजन राज्य के जिला मुख्यालय स्तर पर भी किया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य राज्य के गौरवशाली सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत तथा समृद्ध बिहार के साथ–साथ बढ़ता बिहार की योजनाओं को राज्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जन–जन तक पहुँचाना है। उक्त आयोजन के अवसर पर हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प प्रक्षेत्र के उत्पादों/कलाकृतियों की प्रर्दशनी सह बिक्री की जाती है। साथ ही उक्त प्रक्षेत्र के उत्पादो की जीवन्त प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जायेगा।

(3) इस योजना अंत्तर्गत उक्त अवसर पर राज्य के हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों को अपने उत्पादो की प्रर्दशनी सह बिक्री हेतु निःशुल्क स्टॉल आवंटित किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत राशि का व्यय **संलग्न परिशिष्ट–01** के अनुरूप समय–समय पर उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 104 हस्तशिल्प उद्योग, मॉग संख्या 23, उप शीर्ष 0101 हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड P2851001040101, राज्य योजना स्कीम कोड IND 5442, विषय शीर्ष 26 01, विज्ञापन और प्रकाशन मद से विकलित होगा जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में यथेष्ठ बजट उपबंध है।

(6) उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एकमुश्त अग्रिम राशि की निकासी कर उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना के चालू खाता सं0–31599798732 में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उपलब्ध करायेगें। जिसका व्यय समय–समय पर उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में की जायेगी।

(7) इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इसका अनुश्रवण करेंगे।

(8) इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक 4263, दिनांक 20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरुप की जायेगी।

(9) इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड–IND–5442 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड एवं योजना कोड अंकित करेंगे ।

क्रमशः पृष्ट–02

(10) प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–*सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14* के **पृष्ट–41/टि0** पर दिनांक **29.08.2016** को प्राप्त है जिसका **डायरी गै0सं0प्रे0संख्या–269** दिनांक **29.08.2016** है।

(11) राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– *सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14* के **पृष्ट–48/टि0** पर दिनांक–**03.11.16** को प्राप्त है जिसका डायरी संख्या **257/OSD** दिनांक **03.11.16** है।

(12) वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 की कंडिका–15 के आलोक में उक्त राशि एकमुश्त अग्रिम निकासी हेतु शिथलीकरण के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

(13) वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4325 /
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14
पटना, दिनांक 13.12.16

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग विभाग/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (मेला प्रभारी), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना/सभी जिला उद्योग केन्द्र/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी–(बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/एवं प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–3, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.12.16
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive_sujeet_Dharmendra sir_\Sanction Order/2015-16..........92

परिशिष्ट–I

वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार उत्सव दिनांक 15–31 मार्च, 2017 तक नई दिल्ली, दिनांक 22–23 मार्च, 2017 तक गाँधी मैदान, पटना एवं राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्तर पर तीन दिवसीय आयोजन हेतु बजट मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104–हस्तशिल्प उद्योग, माँग संख्या–23, उप शीर्ष 0101–हस्तशिल्प का विकास, विषय शीर्ष 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन, विपत्र कोड P2851001040101, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5442, अनुमानित व्यय विवरणी:–

क्र०	मद	अनुमानित व्यय राशि (लाख में)
1	2	3
01.	दिल्ली हाट आरक्षण शुल्क/प्रर्दशनी हॉल/रंगमंच का आरक्षण शुल्क, विद्युत शुल्क, पानी शुल्क इत्यादि।	20.00
02.	थीम के अनुरूप मेला परिसर/हॉल/फेसिया निर्माण/स्टाल निर्माण/रंगमंच साज–सज्जा/लाईट/साउण्ड/आवासन/परिवहन/गर्लगाईड/प्रचार–प्रसार प्रिटिंग/कार्यालय व्यय/कार्यान्वयन एजेन्सी शुल्क इत्यादि।	30.00
03.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	10.00
04.	22–23 मार्च, 2017 तक गाँधी मैदान, पटना में आयोजन हेतु	20.00
05.	राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्तर पर तीन दिवसीय बिहार उत्सव का आयोजन हेतु @ 1.00 लाख रूपये मात्र	38.00
	कुल योग :–	₹118.00

(एक करोड़ अठारह लाख) रूपये मात्र।

9/12/16
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive_sujeet_Dharmendra sir_\Sanction Order/2015-16---------93